महत्वपूर्ण

संख्या-1254/9-9-2015-221ज/13

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त संचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।
2-समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

विषय- उत्तर प्रदेश नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारंण और संचालन) नियमावली, 2015 की अधिसूचना का गजट में प्रख्यापन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उत्तर प्रदेश नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारंण और संचालन) नियमावली, 2015 क्रमशः अधिसूचना संख्या-1235/9-9-2010-221ज/2013, दिनॉक 31 दिसम्बर, एवं अधिसूचना संख्या-1234/9-9-2010-221ज/2013, दिनॉक 31 दिसम्बर, 2015 की एक-एक हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना के माध्यम से उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम की धारा-300 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बिन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से आमंत्रित की जाती है। उक्त नियमावली की अधिसूचना urbandevelopment.up.nic.in पर अपलोड है। अतः उत्तर प्रदेश नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारंण और संचालन) नियमावली, 2015 का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त कर समेकित सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go-v

2.

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, आवास एंव शहरी नियोजन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं गृह विभाग उ0प्र0 शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रालय, ऐशबाग लखनऊ को उत्तर प्रदेश नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत में (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारंण और संचालन) नियमावली, 2015 कमंशः अधिसूचना संख्या–1235 / 9–9–2014–221ज / 2013, दिनॉक दिसम्बर, एवं अधिसूचना संख्या–1234 / 9–9–2014–221ज / 2013, दिनॉक दिसम्बर, 2015 की एक–एक हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति हार्ड एंव साफ्ट कापी सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना सरकारी गजट, उ0प्र0 असाधारण, विधायी परिशिष्ट, भाग–4 खण्ड–ख में दिनांक दिसम्बर, 2015 की तिथि में प्रकाशित कराकर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0। A (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0।)

5– वेब साइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से.

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव ।

स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0
8वॉ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

संख्या-8/3050-2/8/2015-16

लखनऊ दिनांक 14/01/, 2016

उपरोक्त की प्रति सम्बन्धित समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 एवं नगर पालिका परिषदो एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशो के क्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

1- संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास विभाग, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1254 /9-9-2015-221ज/13 दिनांक 31.12.2015 के अनुपालन में।

2- जूनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त सम्बन्धित को ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु ।

(सुखेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लेखा)।

go-v

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9
संख्या.1234 / 9–9–2015–221ज / 13
लखनऊ दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916) की धारा 7 के खण्ड (प) और धारा 296 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 300 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियॉ और सुझाव यदि कोई हो, सचिव, नगर विकास अनुभाग–9 बापू भवन लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जायेगें। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकशित होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (पार्किंग स्थलों का निर्माण, अनुरक्षण और संचालन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर पालिका (पार्किंग स्थलों का निर्माण,संधारण और संचालन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2 (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है:

(ख) ''पार्किंग स्थल'' का तात्पर्य ऐसे अधिकृत और चिन्हांकित भूखण्ड या भवन या संरचना या स्थान से है, जहॉ वाहन खड़े किये जा सकते हों:

(ग) ''वाहन'' का तात्पर्य किसी पहियेदार गाड़ी से है जिसे सड़क पर प्रयुक्त किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत बाइसिकिल, ट्राईसिकिल या उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–21, सन् 1997) में यथा परिभाषित मोटर गाड़ी से है।

(घ) 'शुल्क '' का तात्पर्य वाहन पार्किंग के निमित्त संगृहीत प्रभार से है:

(ङ) "संचालक" का तात्पर्य पार्किंग स्थल के रख–रखाव, प्रबन्धन और शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार की वसूली के लिए नियमों के अधीन सक्षम स्तर द्वारा अधिकृत व्यक्ति या अभिकरण से है:

(च) "नगर पालिका" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन गठित नगर पालिका परिषद और उपखण्ड (क) के अधीन गठित नगर पंचायत से है:

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हो।

प्रतिबन्ध 3. कोई भी व्यक्ति, अधिशासी अधिकारी द्वारा चिन्हित और प्राधिकृत पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त किसी भी सड़क, सड़क पटरी, फुटपाथ अथवा सार्वजनिक स्थल पर वाहन खड़ा नहीं कर सकेगा और न करवा सकेगा।

पार्किंग स्थलो की व्यवस्था 4. नगरपालिका द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों पर यथावश्यकता पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण और विकास निम्नलिखित रीति से किया जा सकेगा–

(क) विद्यमान पार्किंग स्थलों की क्षमता विकास एवं समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख बहुस्तरीय पार्किंग का स्थल निर्माण, उनकी संख्या में वृद्धि और आवश्यकतानुसार तलों की संख्या बढाई जायेगी।

(ग) पार्को के नीचे पार्किंग स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्को में लगभग 90 प्रतिशत भाग में भूतल पर हरितक्षेत्र हो और उसका विकास और अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) पार्किंग स्थलों के लिये, वैकल्पिक स्थानों यथा फ्लाईओवर के नीचे जहॉ समुचित हो, हरितपट्टिका के साथ पार्किंग की व्यवस्था, बाजारों, मेलों, खुले सार्वजनिक स्थानों और ऐसे ही अन्य स्थलों पर जब उनका उपयोग उक्त कार्यो में न हो रहा हो, निर्धारित समयावधि में पार्किंग व्यवस्था की जा सकेगी।

(ङ) व्यावसायिक और मिश्रित भू–प्रयोग के सम्बन्ध में पार्किंग मानकों की समीक्षा और समुचित गलियों में अधिकृत पार्किंग का प्राविधान करने पर विचार किया जा सकेगा।

(च) सभी सार्वजनिक, व्यावसायिक, अनावासिक और संस्थागत भवनों में समुचित पार्किंग स्थल सुनिश्चित किया जायेगा।

(छ) आवासीय या व्यावसायिक भवनों के सामने सार्वजनिक मार्गो या स्थानों पर रात्रिकाल में वाहन पार्किंग करने पर शुल्क लिया जा सकता है।

(ज) निजी क्षेत्र की भागीदारी के आधार पर पार्किंग स्थल विकसित

किये जाने के प्राविधानों पर विचार किया जायेगा।

(झ) जब कभी विकास प्राधिकरण, विकासकर्ताओं या किसी प्रकार की संस्थाओं द्वारा नगरीय क्षेत्र में कोई विकास योजना बनाई जाय अथवा अभिन्यास तैयार या स्वीकृत किये जॉयं अथवा इसी प्रकार के कोई कार्य किये जाय तो समुचित पार्किंग की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(ञ) लोक परिवहन के प्रमुख स्थलों पर "पार्क एण्ड राइड" की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

(ट) नगर पालिका द्वारा संचालित पार्किंग व्यवस्थाओं पर दबाव कम करने के लिए पार्किंग व्यवस्था का निजीकरण भी विचारणीय होगा।

(ठ) नगरीय क्षेत्रों में मिश्रित भू प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाय जिससे आवासीय क्षेत्रों में कार्य स्थलों का निर्माण, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हों सकें और जिससे एक स्थल से दूसरे स्थल के लिए आवागमन के लिए वाहनों और पार्किंग स्थल की आवश्यकता को सीमित किया जा सकें।

(ड) समूहिक परिवहन, मेट्रो आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराकर और निजी वाहनों को उपयोग के हतोत्साहित कर पार्किंग की मांग में कमी लाई जा सकेगी।

(ढ) नगर में रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, स्कूलों, कालेजों, होटलो, कारखानो, अस्पतालों, वाणिज्यिक भवनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों अस्पतालों और अन्य अनावासिक भवनों और स्थानों के समीप सार्वजनिक पार्किंग के लिए नगर पालिका से अनुज्ञा प्राप्त कर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

पार्किंग स्थलों का संचालन एवं अनुरक्षण

5. (1) नगरपालिका द्वारा विकसित पार्किंग स्थलों का समुचित अनुरक्षण अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति, द्वारा किया जायेगा।

(2) पार्किंग स्थलों का अनुरक्षण, संचालन, प्रबन्धन, विनियमन और उस के लिए प्रयोक्ता प्रभार की वसूली कराने हेतु निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से सम्पन्न कराना अधिशासी अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा।

(एक) निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुबन्ध द्वारा,

(दो) सार्वजनिक नीलामी द्वारा।

(तीन) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा।

(चार) निकाय के निजी श्रोतों द्वारा।

(पॉच) अन्य रीति जैसा कि नगर पालिका अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

(3) उप नियम (2) में उल्लिखित किसी भी रीति के लिये निबन्धन और शर्तो का निर्धारण नगर पालिका द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा और प्रपत्र 1 पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

(4) अन्य विस्तृत निबन्धन और शर्तो, प्रतिबन्धों, सूचनाओं, प्रतिभूतियों, प्रकियाओं एवं अपेक्षित निर्देशों का निर्धारण नगरपालिका द्वारा किया जा सकेगा।

सीमा का अभ्यंकन 6. (1) प्रत्येक पार्किंग स्थल की सीमा का अभ्यंकन किया जायेगा और सीमा चिन्ह अंकित किये जायेगें।

(2) उपनियमम (1) में नियत सीमा से बाहर पार्किंग का प्रयोग दण्डनीय होगा।

दरों का निर्धारण 7. (1) वाहन की पार्किंग हेतु प्रभार की दरों का निर्धारण अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर नगरपालिका द्वारा किया जायेगा

(2) नगर के विभिन्न क्षेत्रों को श्रेणीवार वर्गीकृत करते हुए अलग अलग श्रेणी में पार्किंग के प्रभार की अलग–अलग दरें पीक आवर, नान पीक आवर, क्षेत्र की सघनता, और व्यावसायिक गतिविधियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए अधिशासी अधिकारी द्वारा संस्तुत की जा सकेगी।

(3) पार्किंग शुल्क की दरें प्रपत्र–2 में पार्किंग स्थल पर किसी सुस्पष्ट स्थान पर पठनीय अक्षरों में न्यूनतम 1मीटर x .75 मीटर का पट लागकर सम्प्रदर्शित की जायेगी।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पार्किंग शुल्क दर की पट को किसी कागज, रंग या अन्य प्रकार से विरूपित न किया जाये।

पार्किंग स्थलों की अनुज्ञा 8. (1) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित निर्बधनों और शर्तो के अधीन नगरपालिका सीमा में सार्वजनिक पार्किंग के प्रबन्धन, संचालन एवं उसके अनुरक्षण और पार्किंग प्रभार की वसूली की मंजूरी दी जा सकेगी।

(2) अनुज्ञा शुल्क और अन्य प्रभार ऐसी दरों पर जैसा कि नगर पालिका द्वारा समय समय पर नियत किये जाये, वसूल किये जायेगें।

(3) अनुज्ञा केवल उस अवधि के लिये वैध होगी, जिस अवधि के लिये प्रदान की गई हो।

(4) प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(5) अनुज्ञापी ऐसी अवधि जिसके लिये अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति के पश्चात अनुज्ञापी वहॉ किसी भी प्रकार से पार्किंग का संचालन न कर सकेगा।

(6) पार्किंग स्थल पर वाहन पंक्तिबद्ध खड़े किये जायेगें ताकि वाहन को पार्किंग स्थल से बाहर निकालने में असुविधा न हो सकें।

(7) लोक हित में, अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा–पत्र निलम्बित या निरस्त कर दें।

(8) समुचित अनुरक्षण और प्रबन्धन अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

(9) अनुज्ञापी का यह दायित्व होगा कि पार्किंग स्थल के अन्तर्गत आने वाले परिसर की सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(10) पार्किंग स्थल पर हुई किसी प्रकार की टूट फूट या क्षति की प्रतिपूर्ति संचालक से की जायेगी।

पार्किंग स्थल हटाने की शक्ति

9. यदि कोई व्यक्ति, संस्था, एजेन्सी, पार्टनर, ठेकेदार या संचालक इस नियमावली के प्राविधनों का उल्लंघन कर पार्किंग कार्य को संचालित करता है, तो अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उसे हटवा सकता है अथवा पार्किंग का कार्य बन्द करा सकता है अथवा अन्य कोई निर्णय जिसे वह उचित समझे, ले सकता है।

पार्किंग हेतु निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

10. नगर पालिका या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या वार्ड में पार्किंग स्थलों के निर्माण, विकास अथवा संचालन के लिये निषिद्ध घोषित कर सकेगी।

प्रवर्तन

11. अनधिकृत और त्रुटिपूर्ण पार्किंग के लिये वाहन हटाने के प्रभार के साथ कार्यवाही अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन

12. (1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पॉच हजार रूपये तक हो सकता है , दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

प्रपत्र–1

नियम 5(3) देखिये)

पार्किंग स्थल के आवंटन हेतु आवेदन –पत्र

(अवधि.....से .....तक)

आवेदक की प्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ

1. पार्किंग स्थल का नाम .....
2. आवेदक का नाम .....
3. पिता का नाम .....
4. पैनकार्ड का नम्बर .....
5. मोबाइल नम्बर. .....
6. पता.....
   .....
7. अधिकतम धनराशि अंको/शब्दों में.....
8. संलग्न बैंक ड्राफ्ट संख्या/बैंक का नाम/नकद धनराशि का विवरण
9. आवेदन शुल्क के सम्बन्ध में बैंक संख्या/बैंक का नाम/नगद धनराशि का विवरण....
   .....

वचनबद्धता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....घोषणा करता/करती हूँकि

(1) मैने चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न किया है।

(2) मैने विषय से सम्बन्धित नियमों और शर्तो , सुसंगत नियमों और विनियमों की जानकारी प्राप्त कर ली है।

(3) मुझे प्राधिकारियों द्वारा चिन्हित उपरोक्त पार्किंग स्थल की सीमा का पूर्ण ज्ञान है।

(4) मैं प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी सभी नियमों, शर्तो, निर्देशों और आदेशों का पालन करूँगा।

(5) मैं किराये या उप अनुबन्ध या अन्य प्रकार सहित किसी भी रीति, जो भी हो, पार्किंग स्थल का संचालन और अनुरक्षण किसी व्यक्ति या ठेकेदार या अभिकरण या संचालक को हस्तान्तरित नहीं करूँगा।

दिनांक.....

संलग्नक–

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

नियम 7(3) देखिये)

1. नगर पालिका का नाम .....
2. पार्किंग स्थल का नाम .....
3. संचालक का नाम.....
4. मोबाइल नम्बर .....
5. पार्किंग शुल्क की दरें.....
6. कार एवं अन्य चार पहिया वाहन.....
7. स्कूटर/मोटर साइकिल.....
8. साइकिल.....

नोट–शिकायतों के निस्तारण के लिए, सम्पर्क करें.....

Arrangement of parking place 4

The identification and development of parking places, as required, may be done on various places in the city by the Municipality in the following manner :-

(a) Capacity development and proper maintenance of existing parking places shall be ensured.

(b) Construction of multi level parking lots, increasing of their number and floor heights as required, shall be done.

(c) The construction of underground parking places under the parks may be done so that approximate 90% part in the parks on the ground shall be green fields and their development and maintenance shall be ensured.

(d) For parking places, alternate spots as under the flyovers wherever suitable, parking arrangement along with green belt, places for markets and fares, open public spaces and like wise other places whenever they are not in use of their above purposes, may be utilized for parking in fixed period.

(e) Review of parking standards for commercial and mixed land use and provision of authorized parking on suitable streets may be considered.

(f) Adequate parking lots shall be ensured in all public commercial and institutional buildings.

(g) Parking fee or user charges may be recovered for the vehicle parked in the night on the public roads and public places in front of residential or commercial houses.

(h) The provisions of the development of parking lots on the basis of private sector participation shall be considered.

(i) Whenever any development plan in the urban areas is framed or lay out is prepared or sanctioned or any work of such type is performed by the Development Authorities, Developers, or any type of institutions, adequate parking facilities shall be ensured.

(j) "Park and Ride" facilities shall be provided at main spots of public transportations.

(k) Privatization of parking arrangements shall also be considerable to minimize the pressure on parking arrangements operated by the Municipality.

(l) Mixed land use in the urban area should be encouraged so that the construction of work place in residential areas, and availibity of commodities of daily uses may be ensured by which vehicles for going one place to another and need for parking may be minimized.

(m) By providing mass transportation and metro facilities etc. and discouraging the uses of private vehicles, parking demand may be minimized.

(n) By seeking license from the Municipality for public parking, parking arrangements may be ensured near railway stations, schools, colleges, hostels, factories,hospitals, commercial buildings and other non residential buildings or places of the city.

Operation and maintenance of parking lots. 5

(1) Proper maintenance of parking lots developed by the Municipality shall be done by the Executive Officer or by any person authorized by him.

(2) It shall be lawful for the Executive Officer to maintain, operate, manage, regulate parking lots and cause to be recovered user charges for the same in any one or

more of the following modes-

(i) by public sector participation agreement.
(ii) by public auction.
(iii) by inviting tenders.
(iv) by own sources of the local body.
(v) by other modes as Municipality or the State Government prescribe.

(3) The determination of terms and conditions for any of the mode mentioned in sub rule (2) shall be specified by the Municipality and application shall be received in Form -1 appended to these rules.

(4) Other detail terms, and conditions, restrictions, informations, securities, procedures and other required directions may be determined by the Municipality.

Demarcation of Limit 6 (1) Demarcation of the limit of every parking lot shall be done and limit signs shall be indicated.

(2) Parking out of the limit stipulated in sub rule (1) shall be punishable.

Determination of rates. 7 (1) The rates of charges for parking of vehicles shall be determined by the Municipality on the recommendation of the Executive Officer.

(2) After classification of various areas of the city, category wise separate rates of charges for parking in separate category may be recommended by the Executive Officer, keeping in view the peak hours, non peak hours, density of area and commercial activities etc.

(3) Rates of charges for parking shall be displayed in Form-2, on the board measuring minimum 1 metre x .75 metre on any conspicuous place.

(4) It shall be ensured that the parking fee rate board may not be defaced with any paper, colour or otherwise.

Granting License for parking Lots 8 (1) Licence may be granted for management, operation and maintenance of public parking in the Municipal limit and for recovery of parking charges under restrictions and conditions determined by the Executive Officer or any officer authorized by him in this behalf.

(2) Licence fees and other charges shall be recovered at the rates as are fixed by the Municipality from time to time.

(3) The licence shall be valid only for the period for which it was granted.

(4) The licence granted shall not be transferable.

(5) After expiry of the period for which the licence has been granted the licence holder shall not operate any kind of parking there on.

(6) Vehicles shall be parked symmetrically so that it may not cause inconvenience to come out other vehicles from parking place.

(7) In the public interest, the Executive Officer shall have the right to suspend or cancel the licence .

(8) Proper maintenance and management shall be done by the licence holder.

(9) It shall be the responsibility of the licence holder to pay attention towards, cleanliness and health conditions of the premises within the parking place.

(10) Any kind of breakages or damages at parking place shall be compensated by the operator.

Power to remove 9 If any person, institution , agency, partner, contractor

parking place.

or operator operates parking functions in contravention of the provisions of these rules the Executive Officer or any officer authorized by him in this behalf may get the same removed or stopped or may take any other action as he thinks fit.

Declaration of prohibited area for parking

10 The Municipality or the State Government may declare any of the area or ward prohibited for construction, development or operation of parking lots.

Enforcement

11 Action against unauthorized and wrong parking together with the vehicle removal charges may be imposed by the Executive Officer or any officer authorized by him in this behalf.

Penalty and composition of offences

12 (1) Any contravention of the provisions of these rules shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.

(2) Notwithstanding anything contained in sub rules (1) any offence punishable under these rules may be compounded by the Executive Officer or any officer authorized by him in this behalf .

(Shree Prakash Singh)
Sachiv

FORM –A
(see rule 5(3)

Attested coloured photograph of Applicant

Application for allotment of parking lot
(Period ----------to ----------)

1-Name of parking lot----------

2-Name of the applicant ----------
-
3 -Name of the father----------

4-Number of PAN CARD----------

5- Mobile Number----------

6-Address----------
-
7-Maximum amount offered---------- in words----------

8-Details of Bank Draft /Banks name/cash attached ----------

9-Details of Band Draft/ Bank name /Cash regarding application fee----------
---

Undertaking

I ----------son/daughter/wife of Mr. ----------declare that;

(1) I have attached the character certificate and other required certificates.
(2) I have thoroughly gone through the terms and conditions, relevant rules and regulations regarding the subject.
(3) I am fully aware of the limit of the above parking lot demarcated by the authorities.
(4) I shall follow all the terms, conditions, directions and orders of authorities issued from time to time.
(5) I shall not transfer in any manner whatsoever including rent or subcontract or other wise the operation and maintenance of the parking lot to any other person or contractor or agency or operator.

Signature of Applicant
Date:-
Enclosures

FORM –2

(see rule 7(3)

1-Name of Municipality----------

2-Name of Parking Lot----------

3-Name of the operator ----------

4-Mobile Number ----------

5-Rates of parking fee-

1-Car and other Four wheeler ----------

2-Scooter/Motor Cycle ----------

3-Bicycle----------

Note-For grievance redressal , contact----------

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9
संख्या–1235/9–9–2015–221ज/13
लखनऊ दिनांक 31 दिसम्बर, 2015
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2, सन् 1959) धारा 550 के साथ पठित धारा 114 की उपधारा (9–क), धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 124 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते है, उसका निम्नलिखित प्रारूप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा(2)की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियॉ और सुझाव यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–9 बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जायेंगे। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे, ।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण और संचालन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण और संचालन) नियमावली, 2015'' कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. (1) जबतक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **''अधिनियम''** का तात्पर्य ''उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959'' से है:

(ख) **''पार्किंग स्थल''** का तात्पर्य ऐसे अधिकृत और चिन्हांकित भूखण्ड या भवन या संरचना या स्थान से है, जहॉ वाहन खड़े किये जा सकते हों:

(ग) **''वाहन''** का तात्पर्य किसी पहियेदार गाड़ी से है जिसे सड़क पर प्रयुक्त किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत बाइसिकिल, ट्राईसिकिल या उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–21 सन् 1997) में यथा परिभाषित मोटर गाड़ी से है:

(घ) **''शुल्क''** का तात्पर्य वाहन की पार्किंग के निमित्त संगृहीत प्रभार से है:

(ङ) "संचालक" का तात्पर्य पार्किंग स्थल के रख–रखाव, प्रबन्धन और शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार की वसूली के लिये नियमों के अधीन सक्षम स्तर द्वारा अधिकृत व्यक्ति या अभिकरण से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।

प्रतिबन्ध 3. कोई भी व्यक्ति, नगर आयुक्त द्वारा चिन्हित और प्राधिकृत पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त किसी भी सड़क , सड़क पटरी, फुटपाथ अथवा सार्वजनिक स्थल पर वाहन खड़ा नहीं कर सकेगा और न करवा सकेगा।

पार्किंग स्थलों की व्यवस्था 4. विभिन्न स्थानों पर यथावश्यक पार्किंग स्थलो का चिन्हीकरण और विकास निम्नलिखित रीति से किया जा सकेगाः–

(क) विद्यमान पार्किंग स्थलों की क्षमता विकास एवं समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बहुस्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण, उनकी संख्या में वृद्धि और आवश्यकतानुसार तलो की संख्या बढ़ाई जायेगी।

(ग) पार्कों के नीचे पार्किंग स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्को में लगभग 90 प्रतिशत भाग में भूतल पर हरितक्षेत्र हो और उसका विकास और अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) पार्किंग स्थलों के लिये, वैकल्पिक स्थानों यथा फ्लाईओवर के नीचे जहॉ समुचित हो, हरितपट्टिका के साथ पार्किंग की व्यवस्था , बाजारों, मेलों, खुले सार्वजनिक स्थानों और ऐसे ही अन्य स्थलों पर जब उनका उपयोग उक्त कार्यो में न हो रहा हो, निर्धारित समयावधि में पार्किंग व्यवस्था की जा सकेगी।

(ङ) व्यावसायिक और मिश्रित भू–प्रयोग के सम्बन्ध में पार्किंग मानकों की समीक्षा और समुचित गलियों में अधिकृत पार्किंग का प्राविधान करने पर विचार किया जा सकेंगा।

(च) सभी सार्वजनिक , व्यावसायिक, और संस्थागत भवनों में समुचित पार्किंग स्थल सुनिश्चित किया जायेगा।

(छ) आवासीय या व्यावसायिक भवनों के सामने सार्वजनिक मार्गो या स्थानों पर रात्रिकाल में वाहन पार्किंग करने पर पार्किंग शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार लिया जा सकता है।

(ज) निजी क्षेत्र की भागीदारी के आधार पर पार्किंग स्थल विकसित किये जाने के प्राविधानों पर विचार किया जायेगा।

(झ) जब कभी विकास प्राधिकरण, विकासकर्ताओं ,या किसी प्रकार की संस्थाओं द्वारा नगरीय क्षेत्र में कोई विकास योजना बनाई

जाय अथवा अभिन्यास तैयार या स्वीकृत किये जॉय अथवा इसी प्रकार के कोई कार्य किये जायॅ तो समुचित पार्किंग की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(ञ) लोक परिवहन के प्रमुख स्थलों पर 'पार्क एण्ड राइड' की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

(ट) नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग व्यवस्थाओं पर दबाव कम करने के लिए पार्किंग व्यवस्था का निजीकरण भी विचारणीय होगा।

(ठ) नगरीय क्षेत्रों में मिश्रित भू–प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाय जिससे आवासीय क्षेत्रों में कार्य स्थलों का निर्माण और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और जिससे एक स्थल से दूसरे स्थल के लिए आवागमन के लिए वाहनों और पार्किंग स्थल की आवश्यकता को सीमित किया जा सके।

(ड) सामूहिक परिवहन, मेट्रो आदि की सुविधायें उपलब्ध कराकर और निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित कर पार्किंग की मांग में कमी लाई जा सकेगी।

(ढ) नगर में रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, कालेजों, होटलों, कारखानों, अस्पतालों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों और स्थानों के समीप सार्वजनिक पार्किंग के लिए नगर निगम से अनुज्ञा प्राप्त कर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

पार्किंग स्थलों का संचालन

5. (1) नगर निगम द्वारा विकसित पार्किंग स्थलों का समुचित अनुरक्षण नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति, द्वारा किया जायेगा।

(2) पार्किंग स्थलों का अनुरक्षण , संचालन, प्रबन्धन, विनियमन और उसके लिए प्रयोक्ता प्रभार की वसूली कराने हेतु निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति नगर आयुक्त के लिये विधि सम्मत होगीः–

(एक) निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुबन्ध द्वारा।

(दो) सार्वजनिक नीलामी द्वारा।

(तीन) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा।

(चार) स्थानीय निकाय के निजी श्रोतों द्वारा।

(पॉच) अन्य रीति जैसा कि नगर निगम अथवा राज्य सरकार द्वा विहित की जाय।

(3) उप नियम (2) में उल्लिखित किसी भी रीति के लिये निबन्ध और शर्तों का निर्धारण नगर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट कि जायेगा और इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र –1 में आवेद पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

(4) अन्य विस्तृत निबन्धन और शर्तों , प्रतिबन्धों, सूचनाओं, प्रतिभूतियों प्रकियाओं एवं अपेक्षित निर्देशों का निर्धारण नगर निगम द्वारा किया जा सकेगा।

सीमा का अभ्यंकन 6. (1) प्रत्येक पार्किंग स्थल की सीमा का अभ्यंकन किया जायेगा और सीमा चिन्ह अंकित किये जायेगे।

(2) उपनियम (1) में नियत सीमा से बाहर पार्किंग का प्रयोग दण्डनीय होगा।

दरों कानिर्धारण 7. (1) वाहन की पार्किंग हेतु प्रभार की दरें नगर आयुक्त की संस्तुति पर नगर निगम द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(2) नगर के विभिन्न क्षेत्रों को श्रेणीवार वर्गीकृत करते हुए अलग –अलग श्रेणी में पार्किंग के प्रभार की अलग–अलग दरें पीक आवर, नान पीक आवर, क्षेत्र की संघनता और व्यावसायिक गतिविधियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए नगर आयुक्त द्वारा संस्तुत की जा सकेगी।

(3) पार्किंग प्रभार की दरें प्रपत्र–2 में पार्किंग स्थल पर किसी सुस्पष्ट स्थान पर न्यूनतम 1मीटरX.75मीटर का पट लगाकर सम्प्रदर्शित की जायेगी।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पार्किंग शुल्क दर की पट को किसी कागज, रंग या अन्य प्रकार से विरूपित न किया जाये।

पार्किंग स्थलों की अनुज्ञा प्रदान करना 8. (1) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन नगर निगम सीमा में सार्वजनिक पार्किंग के प्रबन्धन, संचालन एवं अनुरक्षण और पार्किंग प्रभार की वसूली की मंजूरी दी जा सकेगी।

(2) अनुज्ञा शुल्क और अन्य प्रभार ऐसी दरों पर जैसा कि नगर निगम द्वारा समय समय पर नियत किये जाये, वसूल किये जायेंगे।

(3) अनुज्ञा केवल उस अवधि के लिये वैध होगी, जिस अवधि के लिये प्रदान की गई हो।

(4) प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(5) ऐसी अवधि जिसके लिये अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति के पश्चात अनुज्ञापी वहॉ पर किसी भी प्रकार से पार्किंग क संचालन नहीं करेगा।

(6) पार्किंग स्थल पर वाहन पंक्तिबद्ध खड़े किये जायेगें ताकि अन्य वाहन को पार्किंग स्थल से बाहर निकालने में असुविधा न हो

सकें।

(7) लोक हित में, नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा–पत्र निलम्बित या निरस्त कर दें।

(8) समुचित अनुरक्षण और प्रबन्धन अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

(9) अनुज्ञापी का यह दायित्व होगा कि पार्किंग स्थल के परिसर की सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(10) पार्किंग स्थल पर हुई किसी प्रकार टूट फूट या क्षति की प्रतिपूर्ति संचालक से की जायेगी।

पार्किंग स्थल हटाने की शक्ति 9. यदि कोई व्यक्ति, संस्था, एजेन्सी, पार्टनर, ठेकेदार या संचालक इस नियमावली के प्राविधनों का उल्लंघन कर पार्किंग कार्य को संचालित करता है, तो नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उसे हटवा सकता है अथवा पार्किंग का कार्य बन्द करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्यवाही जिसे वह उचित समझे, कर सकता है।

पार्किंग हेतु निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा 10. नगर निगम या राज्य सरकार किसी क्षेत्र या वार्ड में पार्किंग स्थलों के निर्माण, विकास अथवा संचालन के लिये निषिद्ध घोषित कर सकेगी।

प्रवर्तन 11 अनधिकृत और त्रुटिपूर्ण पार्किंग के लिये वाहन हटाने के प्रभार के साथ कार्यवाही नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेंगा।

अपराधो के लिये दण्ड और उनका प्रशमन 12. (1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पॉच हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

(श्री प्रकाश सिंह)
सचिव

प्रपत्र–1

नियम 5(3) देखिये)

पार्किंग स्थल के आवंटन हेतु आवेदन –पत्र

आवेदक की सत्यापित रंगीन फोटोग्राफ

(अवधि.....से .....तक)

1. पार्किंग स्थल का नाम .....
2. आवेदक का नाम .....
3. पिता का नाम.....
4. पैनकार्ड का नम्बर .....
5. मोबाइल नम्बर .....
6. पता.....
7. अधिकतम धनराशि अंको/शब्दों में.....
8. संलग्न बैंक ड्राफ्ट संख्या/बैंक का नाम/नकद धनराशि का विवरण .....
.....
9. आवेदन शुल्क के सम्बन्ध में बैंक संख्या/बैंक का नाम/नकद धनराशि का विवरण....
.....
.....

वचनबद्धता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....घोषणा करता/करती हूँकि

(1) मैंने चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न किया है।

(2) मैंने विषय से सम्बन्धित नियमों और शर्तो , सुसंगत नियमों और विनियमों की जानकारी प्राप्त कर ली है।

(3) मुझे प्राधिकारियों द्वारा चिन्हित उपरोक्त पार्किंग स्थल की सीमा का पूर्ण ज्ञान है।

(4) मैं प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी सभी नियमों, शर्तों, निर्देशों और आदेशों का पालन करूँगा।

(5) मैं किराये या उप अनुबन्ध या अन्य प्रकार सहित किसी भी रीति, जो भी हो, पार्किंग स्थल का संचालन और अनुरक्षण किसी व्यक्ति या ठेकेदार या अभिकरण या संचालक को हस्तान्तरित नहीं करूँगा।

दिनांक.....

संलग्नक

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

नियम 7(3) देखिये)

1. नगर निगम का नाम .....

2. पार्किंग स्थल का नाम .....

3. संचालक का नाम.....

4. मोबाइल नम्बर .....

5. पार्किंग शुल्क की दरें.....

   (1) कार एवं अन्य चार पहिया वाहन.....

   (2) स्कूटर/मोटर साइकिल.....

   (3) साइकिल.....

नोट–शिकायतों के निस्तारण के लिए, सम्पर्क करें.....

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag -9

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-1235/9-9-2015-221ja/13 dated 31 December 2015.

Notification

No-1235/9-9-2015-221ja/13
Lucknow, Dated 31 December 2015

The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of powers under sub section (9-a) of section 114, subsection (1) of section 540 and section 124 read with section 550 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959 (UP Act no 2 of 1959), is hereby published as required by subsection (2) of section 540 of the said Act for information of all concerned with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof.

Objections and suggestions if any shall be sent in writing, addressed to the Sachiv, Nagar Vikas Anubhag-9 Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions as are received within thirty days from the date of publication of this notification in the Gazette shall be taken into Consideration.

The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Construction, Maintenance and Operation of Parking Lots) Rules 2015

Short title, extent and Commencement	1	(1)	These rules may be called "The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Construction, Maintenance and Operation of Parking Lots) Rules, 2015."
		(2)	They shall apply to every Municipal Corporation in Uttar Pradesh.
		(3)	They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
Definitions	2	(1)	In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context-
		(a)	"Act "means the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.
		(b)	"Parking lot" means such authorized and identified piece of Land or building or structure or place where vehicles may be parked.
		(c)	"Vehicles" means a wheeled conveyance capable of being used on street and include a bicycle, tricycle or motor vehicle as defined in the Uttar Pradesh Motor vehicles Taxation Act, 1997 (UP Act no 21 of 1997)
		(d)	"Fee" means a charge collected for the parking of vehicle.
		(e)	"Operator" means a person or an agency authorized under rules by competent authority to maintain, manage the parking lot and to realize the fee or user charges.
		(2)	Words and expressions used but not defined in these rules, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
Prohibition	3		No person shall park any vehicle or get the vehicles parked on any road, road pavement, footpath or public place other than parking places identified and authorized by the Municipal Commissioner.
Arrangement of	4		The identification and development of parking places, as

parking place			required, may be done on various places in the city by the Municipal Corporation in the following manner :-
		(a)	Capacity development and proper maintenance of existing parking places shall be ensured.
		(b)	Construction of multi level parking lots, increasing of their number and floor heights as required, shall be done.
		(c)	The construction of underground parking places under the parks may be done so that approximate 90% part in the parks on the ground shall be green fields and their development and maintenance shall be ensured.
		(d)	For parking places, alternate spots as under the flyovers wherever suitable, parking arrangement along with green belt, places for markets and fares, open public spaces and like wise other places whenever they are not in use of their above purposes, may be utilized for parking in fixed period.
		(e)	Review of parking standards for commercial and mixed land use and provision of authorized parking on suitable streets may be considered.
		(f)	Adequate parking lots shall be ensured in all public commercial and institutional buildings.
		(g)	Parking fee or user charges may be recovered for the vehicle parked in the night on the public roads and public places in front of residential or commercial houses.
		(h)	The provisions of the development of parking lots on the basis of private sector participation shall be considered.
		(i)	Whenever any development plan in the urban areas is framed or lay out is prepared or sanctioned or any work of such type is performed by the Development Authorities, Developers, or any type of institutions, adequate parking facilities shall be ensured.
		(j)	"Park and Ride" facilities shall be provided at main spots of public transportations.
		(k)	Privatization of parking arrangements shall also be considerable to minimize the pressure on parking arrangements operated by the Municipal Corporation.
		(l)	Mixed land use in the urban area should be encouraged so that the construction of work place in residential areas, and availibity of commodities of daily uses may be ensured by which vehicles for going one place to another and need for parking may be minimized.
		(m)	By providing mass transportation and metro facilities etc. and discouraging the uses of private vehicles, parking demand may be minimized.
		(n)	By seeking license from the Municipal Corporation for public parking, parking arrangements may be ensured near railway stations, schools, colleges, hostels factories,Hospitals, commercial buildings and other non residential buildings or places of the city.
Operation and maintenance of parking lots.	5	(1)	Proper maintenance of parking lots developed by the Municipal Corporation shall be done by the Municipal Commissioner or by any person authorized by him.
		(2)	It shall be lawful for the Municipal Commissioner to maintain, operate, manage, regulate parking lots and cause to be recovered user charges for the same in any one or more of the following modes-
			(i) by public sector participation agreement.
			(ii) by public auction.
			(iii) by inviting tenders
			(iv) by own sources of the local body.

(v) by other modes as Municipal Corporation or the Government prescribe.

(3) The determination of terms and conditions for any of the mode mentioned in sub rule (2) shall be specified by the Municipal Corporation and application shall be received in Form -1 appended to these rules.

(4) Other detail terms, and conditions, restrictions, informations, securities, procedures and other required directions may be determined by the Municipal Corporation.

Demarcation of Limit 6

(1) Demarcation of the limit of every parking lot shall be done and limit signs shall be indicated.

(2) Parking out of the limit stipulated in sub rule (1) shall be punishable.

Determination of rates. 7

(1) The rates of charges for parking of vehicles shall be determined by the Municipal Corporation on the recommendation of the Municipal Commissioner.

(2) After classification of various areas of the city, category wise separate rates of charges for parking in separate category may be recommended by the Municipal Commissioner, keeping in view the peak hours, non peak hours, density of area and commercial activities etc.

(3) Rates of charges for parking shall be displayed in Form-2, on the board measuring minimum 1 metre x .75 metre on any conspicuous place.

(4) It shall be ensured that the parking fee rate board may not be defaced with any paper, colour or otherwise.

License for parking Lots 8

(1) Licence may be granted for management, operation and maintenance of public parking in the Municipal limit and for recovery of parking charges under restrictions and conditions determined by the Municipal Commissioner or any officer authorized by him in this behalf.

(2) Licence fees and other charges shall be recovered at the rates as aré fixed by the Municipal Corporation from time to time.

(3) The licence shall be valid only for the period for which it was granted.

(4) The licence granted shall not be transferable.

(5) After expiry of the period for which the licence has been granted the licence holder shall not operate any kind of parking there on.

(6) Vehicles shall be parked symmetrically so that it may not cause inconvenience to come out other vehicles from parking place.

(7) In the public interest, the Municipal Commissioner shall have the right to suspend or cancel the licence .

(8) Proper maintenance and management shall be done by the licence holder.

(9) It shall be the responsibility of the licence holder to pay attention towards, cleanliness and health conditions of the premises within the parking place.

(10) Any kind of breakages or damages at parking place shall be compensated by the operator.

Power to remove parking place. 9

If any person, institution , agency, partner, contractor or operator operates parking functions in contravention of the provisions of these rules the Municipal Commissioner or any officer authorized by him in this behalf may get the same removed or stopped or may take any other action as he thinks fit.

Declaration of prohibited area for parking	10		The Municipal Commissioner or the State Government may declare any of the area or ward prohibited for construction, development or operation of parking lots.
Enforcement	11		Action against unauthorized and wrong parking together with the vehicle removal charges may be imposed by the Municipal Commissioner or any officer authorized by him in this behalf.
Penalty and composition of offences-	12	(1)	Any contravention of the provisions of these rules shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.
		(2)	Not with standing anything contained in sub rules (1) any offence punishable under these rules may be compounded by the Municipal Commissioner or any officer authorized by him in this behalf.

(Shree Prakash Singh)
Sachiv

FORM –A
(see rule 5(3

Attested coloured photograph of Applicant

Application for allotment of parking lot

(Period ----------to ----------)

1-Name of parking lot----------

2-Name of the applicant ----------
-

3 -Name of the father----------

4-Number of PAN CARD----------

5- Mobile Number----------

6-Address----------
--
-

7-Maximum amount offered---------- in words----------

8-Details of Bank Draft /Banks name/cash attached ----------

9-Details of Band Draft/ Bank name /Cash regarding application fee----------
----

Undertaking

I ----------son/daughter/wife of Mr. ----------declare that;

(1) I have attached the character certificate and other required certificates.
(2) I have thoroughly gone through the terms and conditions, relevant rules and regulations regarding the subject.
(3) I am fully aware of the limit of the above parking lot demarcated by the authorities.
(4) I shall follow all the terms, conditions, directions and orders of authorities issued from time to time.
(5) I shall not transfer in any manner whatsoever including rent or subcontract or other wise the operation and maintenance of the parking lot to any other person or contractor or agency or operator.

Signature of Applicant
Date:-
Enclosures -

FORM –2

(see rule 7(3)

1-Name of Nagar Nigam----------

2-Name of Parking Lot----------

3-Name of the operator ----------

4-Mobile Number ----------

5-Rates of parking fee-

1-Car and other four wheeler ----------

2-Scooter/Motor Cycle ----------

3-Bicycle----------

Note-For grievance redressal , contact----------